रजिस्ट्री नं० डी०-(डी)-72

REGISTERED NO. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली मंगलवार मई 10, 1977/वैशाख 20, 1899
No 155] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 1977/VAISAKHA 20, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May 1977

G.S.R. 232 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri V Ramachandran, Member of the Khadi and Village Industries Commission, to be the Secretary of the said Commission with effect from 15th April, 1977 and upto 31st March, 1978.

[No F.6(2)/77-KVI(I)]

B R. R. IYENGAR, Jt Secy

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 1977

सा का० नि० 232(अ).—खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य श्री वी० रामचन्द्रन को 15 अप्रैल 1977 से 31 मार्च 1978 तक के लिए उक्त आयोग का सचिव नियुक्त करती है ।

[सं० 6(2)/77—के० वी० आई० (I)]

बी० आर० आर० अयंगर, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977